मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ४क का अंतःस्थापन.

५. धारा ५ का संशोधन.

६. धारा ५-क का अंतःस्थापन.

७. धारा ७-क का संशोधन,

८. धारा ७-ख का संशोधन.

९. धारा १० का संशोधन

१०. धारा १३क का अंतःस्थापन.

११. धारा १६ का संशोधन.

१२. धारा १७-क का संशोधन.

१३. धारा १७-कख का अंतःस्थापन

१४. धारा २० का संशोधन.

१५. धारा २६ का संशोधन.

१६. धारा ३२ का जोड़ा जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (छ) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "निगम" में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटियाँ और प्राधिकरण, सम्मिलित समझे जाएंगे,

इससे और अधिक, राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई निकाय जिसमें नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित कोई अन्य निकाय सम्मिलित हैं, भी पद "निगम" में सम्मिलित समझे जाएंगे;".

(दो) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(झ) "संकर्म संविदा" से अभिप्रेत है, किसी भवन या अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर), बांध, मेड़, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआं, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति तथा सीवरेज/ड्रेनेज प्रणाली अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों के, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, उनकी मरम्मत या उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी संकर्म के, चाहे वह किसी भी प्रक्रम पर हो, निष्पादन के लिए कोई लिखित करार या आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) अथवा कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा अथवा लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा अथवा ऐसे निगमों अथवा ऐसे लोक उपक्रमों के लिए तथा उनकी ओर से राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा किया गया है अथवा जारी किया गया है और इसमें सम्मिलित है माल या सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई करार तथा उक्त कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन से संबंधित अन्य समस्त विषय और इसमें उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार भाड़े पर ली गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं और इसमें राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा इस प्रकार किये गये समस्त रियायती करार तथा समस्त आनुषंगिक करार जिसमें एस्क्रो करार, प्रतिस्थापन करार भी सम्मिलित होंगे भले ही उनमें राज्य की सहायता सम्मिलित हो या न हो और इसमें केन्द्र सरकार या उसके लोक उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गए ऐसे संकर्म भी सम्मिलित हो सकेंगे, जिनमें मध्यप्रदेश राज्य या उसका उपक्रम एक निष्पादन अभिकरण है.".

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (३) में, खण्ड (तीन) में,-

(एक) उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क) लोक निर्माण, नगरीय कार्य, सिंचाई, ऊर्जा या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा प्राधिकरण में केन्द्र अथवा किसी राज्य की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य इंजीनियर/मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य इंजीनियर/मुख्य अभियंता न रह चुका हो, या,";

(दो) उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(तीन) उपखण्ड (ग) को उपखण्ड (ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

धारा ४क का अंतःस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति.

"४क. (१) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उपधारा (२) के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति में, की जायेगी, जैसी कि राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे.

(२) अधिकरण के लिए खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-

(क) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश- अध्यक्ष

(ख) मुख्य सचिव अथवा उनका नाम निर्देषिती- सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग- सदस्य

(घ) एक सदस्य जो-

(एक) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, पदावरोही अध्यक्ष होगा; या

(दो) अधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का आसीन अध्यक्ष होगा.

(ड.) राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव अथवा सचिव- सदस्य-सचिव

(३) खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा.

(४) खोज सह चयन समिति के सदस्य-सचिव का कोई मत नहीं डाला जायेगा.

(५) खोज-सह-चयन समिति, अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी.

(६) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खोज-सह-चयन समिति, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी और राज्य सरकार, ऐसी सिफारिश की तारीख से अधिमानतः तीन मास के भीतर समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय करेगी.

(७)कोई भी नियुक्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि खोज-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति है.

धारा ५ का संशोधन

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में,-

(एक) उपधारा (२) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२-क) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

धारा ५-क का अंतःस्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों का त्याग-पत्र तथा हटाया जाना.

"५-क. (१) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकेगा.

(२) राज्य सरकार, अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को, ऐसी रीति में जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाए, पद से हटा सकेगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन पद से हटाने की प्रक्रिया उक्त समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष को छोड़कर अधिनियम की धारा ४-क की उपधारा (२) में निर्दिष्ट रीति में गठित समिति की सिफारिश पर की जायेगी तथा ऐसी सिफारिश अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य जो-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

(ग) ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे उसके, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;

(ङ.) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता है, कि उसका निरंतर पद पर बना रहना लोक हित के प्रतिकूल प्रभाव हो; या

(च) अधिकरण के मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे को ध्यान में रखते हुए विनियमों का पालन करने में असफल रहा हो;

के संबंध में की जा सकेगीः

परन्तु जहां अध्यक्ष या किसी सदस्य को खण्ड (ग) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाये जाने का प्रस्ताव है, वहां उसे, उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप संसूचित किए जायेंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जायेगा.".

७. मूल अधिनियम की धारा ७-क में, उपधारा (२) में, शब्द "साशय" का लोप किया जाए. धारा ७-क का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ७-ख में,- धारा ७-ख का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् नया परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि निर्देश याचिका राज्य सरकार या लोक उपक्रम द्वारा फाइल की जाती है तो ऐसी कालावधि तीन वर्ष होगी.".

(दो) उपधारा (२) तथा उपधारा (२क) का लोप किया जाए.

९. मूल अधिनियम की धारा १० में, शब्द "कार्य सम्पादन" के पश्चात, शब्द "श्रव्य-दृश्य माध्यम से सम्मिलित कार्यवाही" अन्तःस्थापित किए जाएं. धारा १० का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थातः- धारा १३ क का अन्तः स्थापन.

"१३क माध्यस्थम् प्रक्रियाओं के दौरान, यदि पक्षकार विवाद का निपटारा करते हैं तो माध्यस्थम् अधिकरण प्रक्रिया समाप्त करेगा तथा सहमत निबंधनों पर माध्यस्थम् अधिनिर्णय के रूप में समझौते को अभिलिखित करेगा.". समझौता.

११. मूल अधिनियम की धारा १६ में,- धारा १६ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"अधिकरण, यदि आवश्यक हो, साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा तथा अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन करने तथा पक्षकारों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अधिनिर्णय दे सकेगाः";

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(२) अधिकरण, विरोधी पक्षकार पर निर्देश की सूचना की तामील होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अपना अधिनिर्णय दे सकेगा:

परन्तु माध्यस्थम अधिकरण, अवार्ड पारित करने हेतु कारणों को अभिलिखित करते हुए उपधारा (२) में विहित कालावधि को छह मास से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगा.".

धारा १७-क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा १७-क में,-

(एक) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए.

(दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और भी कि" का लोप किया जाए.

धारा १७-कख का अन्तःस्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १७-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"१७कख. (१) कोई पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के पूर्व या उनके दौरान या अधिनिर्णय करने के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा १८ के अनुसार इसके प्रवृत्त होने के पूर्व, अधिकरण को-

(एक) माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के संरक्षक की नियुक्ति के लिए; या

(दो) निम्नलिखित में से किसी विषय के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्:-

(क) किसी माल का परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा, बैंक गारंटी को भुनाना या विक्री जो माध्यस्थम् करार की विषय वस्तु है;

(ख) किसी संपत्ति या वस्तु का परिरक्षण या निरीक्षण जो कि माध्यस्थम् में विवाद की विषय वस्तु है या उसमें उसके विषय में कोई प्रश्न उद्भूत हो, और किसी पक्षकार के कब्जे मे की किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए प्राधिकृत करना, या लिये जाने वाले किसी नमूने या तैयार किए जाने वाले किसी संप्रेक्षण या प्रयास, किए गए किसी प्रयोग को प्राधिकृत करना जो पूर्ण जानकारी या साक्ष्य को अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ग) प्रत्यास्थापन के आदेश के लिए, आवेदन कर सकेगा.

(२) अंतरिम उपायों का कोई भी आदेश, विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। समुचित मामलें में, अधिकरण, अंतरिम उपायों के आदेश को, जहां पक्षकार जिसके पक्ष में आदेश पारित किया गया है, मामले की समाप्ति में सहयोग न कर रहा हो, उन्मोचित कर सकेगा, फेरफार कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा.".

धारा २० का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१-क) का लोप किया जाए.

धारा २६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क). अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, हटाया जाना, देय वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियाँ (यदि कोई हो).".

धारा ३२ का जोड़ा जाना.

१६. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

व्यावृत्ति.

"३२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अथवा कोई निर्णय, डिक्री अथवा किसी न्यायालय के प्रतिकूल आदेश के होते हुए भी, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२५ की धारा १६ की उपधारा (२) के उपबंध, इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित समस्त कार्यवाहियों को लागू होंगे, चाहे वह तारीख, जिसको कि ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं, कुछ भी क्यों न हो.

शंकाओं के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी लंबित कार्यवाहियों के संबंध में अधिनिर्णय करने के लिए कालावधि की गणना मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२५ के प्रारम्भ की तारीख से की जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल अपील क्रमांक ४२५० सन् २०१८, मैसर्स ऐस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया कि राज्य को समयबद्धता को अवश्य मानीटर करना चाहिए, जिससे कि माध्यस्थम् कार्यवाहियों में अनावश्यक अधिक समय न लगे. माध्यस्थम् अधिकरण के अध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अनुचित देरी न हो. यदि ऐसी समयबद्धता का पालन नहीं किया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश मामले में ऐसे कदम उठा सकेंगे जैसा कि संभव हो.

२. इसी प्रकार, रिट याचिक क्रमांक ४६/२०२१, संजय कुमार पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य, एम.पी.क्रमांक ३२८६/२०२०, मैसर्स मध्यप्रदेश बार्डर चेक पोस्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड तथा अन्य और रिट याचिका क्रमांक २६२/२०२१ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, इंदौर विरूद्ध भारत संघ तथा अन्य में, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की प्रिंसिपल बैंच, जबलपुर द्वारा यह अवलोकन किया गया कि यदि यह पाया जाता है कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण, १९८३ (क्रमांक २३ सन् १९८३) में यथा अनुध्यात समयबद्धता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो विधिक संशोधनों पर विचार किया जाए, जिससे किसी अन्य समुचित फोरम पर उपचार उपलब्ध कराए जा सकें. सर्वोच्च न्यायालय के प्रभावपूर्ण अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा भी यह अवलोकन किया गया है कि अधिकरण में अधिक संख्या में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ तकनीकी सदस्यों के होने से अधिकरण के सामर्थ्य में यथोचित रूप से वृद्धि होगी. अतएव, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण, १९८३ के लागू होने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मूल अधिनियम की धारा २, ४, ५, ७क, ७-ख, १०, १६, १७क, २०, तथा २६ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं एवं धारा ४क, ५-क, १३-क, १७कख एवं ३२ अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : १ अगस्त, २०२५.

गौतम टेटवाल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२५ के जिन खण्डों में विधायनी शक्तियों की स्थापनाएं है, उनका विवरण निम्नानुसार हैः-

खण्ड २ (दो)	संकर्म संविदा के अंतर्गत आने वाले संकर्मों को अधिसूचित किए जाने;
खण्ड ४	अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में रीति विहित किए जाने;
खण्ड ६	अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्याग-पत्र तथा हटाने की रीति विहित किए जाने;

के संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सं. १९८३) से उद्धरण.

* * *

धारा २. परिभाषाएँ.- (१) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से अभिप्रेत है. माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० (१९४० का १०) (निरसित अधिनियम) या माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २६), जो भी लागू हो;

(ख) ''बैंच'' से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित की गई अधिकरण की बैंच;

(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन नियुक्त किया गया अध्यक्ष;

(घ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है, ५०,००० रूपये या उससे अधिक मूल्यांकन के अभिनिश्चित धन अथवा अभिनिश्चित किए जाने योग्य धन के दावे से संबंधित कोई विवाद जो किसी संकर्म संविदा या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत होता है;

(घघ) ''न्यायिक सदस्य'' से अभिप्रेत है, धारा ४ उपधारा (३) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन विहित की गई अर्हताएं रखने वाला सदस्य;

(ङ.) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, धारा ४ अधीन नियुक्त किया गया अधिकरण का सदस्य;

(च) ''पक्षकार'' के अन्तर्गत उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशिती आएगा;

(छ) ''सार्वजनिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकार कंपनी और उसमें सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः धारित या नियंत्रित कोई निगम अथवा अन्य कानूनी निकाय चाहे वह प्रत्येक दशा में किसी भी नाम से ज्ञात हों;

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद ''निगम'' में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटियाँ और प्राधिकरण, सम्मिलित समझे जाएंगे;

(ज) ''अधिकरण'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित माध्यस्थम् अधिकरण और, उसके अन्तर्गत धारा ६ के अधीन गठित उसकी बैंच आती हैं;

(झ) ''संकर्म संविदा'' से अभिप्रेत है, किसी भवन या अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर), बांध, मेड़, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआं, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, ट्रांसफार्मर अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रमों अथवा राज्य के निगमों के ऐसे अन्य संकर्मों के, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, उनकी मरम्मत या उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी संकर्म के, चाहे वह किसी भी प्रक्रम पर हो, निष्पादन के लिए कोई लिखित करार या आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेन्ट) अथवा कार्य आदेश (वर्क आर्डर) जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा अथवा लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा अथवा ऐसे निगमों अथवा ऐसे लोक उपक्रमों के लिए तथा उनकी ओर से राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा किया गया है अथवा जारी किया गया है और इसमें सम्मिलित है, माल या सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई करार तथा उक्त कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन से संबंधित अन्य विषय और इसमें उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार भाड़े पर ली गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं और इसमें राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा इस प्रकार किए गए समस्त रियायती करार भी सम्मिलित होंगे भले ही उनमें राज्य की सहायता सम्मिलित हो अथवा न हो.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो माध्यस्थम् अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

* * * *

धारा ४. अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य तथा उनकी अर्हताएं.- (१) उपधारा (२) और (३) के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिकरण में एक अध्यक्ष और इतने सदस्य नियुक्त कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे.

(१-क) राज्य सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, न्यायिक सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी जो अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी या अन्य कारण से हुई रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति के दौरान अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा.

२. किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो.

३. कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि-

(एक) वह कम से कम सात वर्ष से जिला न्यायाधीश न हो या कम से कम सात वर्ष तक जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, या

(दो) वह कुल मिलाकर कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि के राजस्व आयुक्त न हो या कुल मिलाकर कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि तक राजस्व आयुक्त न रह चुका हो या राजस्व आयुक्त की पदश्रेणी के समतुल्य कोई पद धारण न कर चुका हो, या

(तीन) वहः-

(क) लोक निर्माण, सिंचाई या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार की सेवा में कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो, या

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की सेवा में कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो, या

(ग) महालेखाकार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से ज्येष्ठ उप-महालेखाकार न हो या कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि तक ज्येष्ठ उप महालेखाकार न रह चुका है:

परन्तु खण्ड (तीन) की दशा, में असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकार पाँच वर्ष की विहित न्यूनतम कालावधि को शिथिल करके तीन वर्ष कर सकेगी.

धारा ५. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि.** – (१) अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे.

(२) अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिये, जब तक कि वह ६७ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा:

परन्तु अध्यक्ष, अपने उत्तरवर्ती के उसके पद ग्रहण करने तक या छह माह तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण किए रहेगा.

(२-क) सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है इनमें से जो पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा.

(३) विलोपित.

* * * *

धारा ७-क. **निर्देश याचिका.**– (१) प्रत्येक निर्देश याचिका में वह सम्पूर्ण दावा सम्मिलित होगा जो पक्षकार निर्देश याचिका फाइल करने तक संकर्म संविदा के बारे में करने का हकदार है किन्तु किसी अन्य संकर्म संविदा से उद्भूत होने वाले दावे ऐसी निर्देश याचिका में संयोजित नहीं किए जाएंगे.

(२) जहां कोई पक्षकार कोई दावा या अपने दावे के किसी भी को निर्देशित करने का लोप करता या उसका साशय त्याग कर देता है, वहां वह तत्पश्चात् ऐसे दावे के भाग के, जिनका इस प्रकार लोप या त्याग कर दिया है, संबंध में निर्देश करने के लिए हकदार नहीं होगा.

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संकर्म संविदा से संबंधित ऐसे विवाद जो निर्देश याचिका फाइल किए जाने के पश्चात् उद्भूत हों, उनके उद्भूत होने पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, ग्रहण किए जा सकेंगे जो विहित की जाएं.

धारा ७-ख. **परिसीमा.**– (१) अधिकरण कोई निर्देश उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि,-

(क) विवाद पहले संकर्म संविदा के निबंधनों के अधीन प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है, और

(ख) याचिका, अंतिम प्राधिकारी के विनिश्चय के संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिकरण को नहीं की जाती है:

परन्तु यदि अंतिम प्राधिकारी उसे निर्देश किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर विवाद का विनिश्चय करने में असफल रहता है वहां याचिका छह मास की उक्त कालावधि का अवसान होने से एक वर्ष के भीतर अधिकरण को की जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पूर्व या ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किन्तु मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, १९९० के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रारंभ ही नहीं की गई है, वहां निदेश याचिका मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, १९९० के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस तथ्य के होते हुए भी ग्रहण की जाएगी कि करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय किया गया है या नहीं.

(२-क) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि निर्देश याचिका उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती है जिसको संकर्म संविदा पर्यवसित हो जाती है, पुरोबन्धित हो जाती है, परित्यक्त कर दी जाती है या किसी अन्य रीति में समाप्त हो जाती है या जब संकर्म संविदा के लम्बित रहने के दौरान कोई विवाद उद्भूत हो जाता है:

परन्तु यदि निर्देश याचिका राज्य सरकार द्वारा फाइल की जाती है तो ऐसा काल तीस वर्ष होगा.

* * * *

धारा १०. **अधिकरण और बैंचों की प्रक्रिया के लिए विनियम.**- अधिकरण, अपने समक्ष या अपनी बैंचों के समक्ष के कार्य संपादन के लिए विनियम बना सकेगा. इस प्रकार बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे और वे राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख को या ऐसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख को, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त होंगे.

* * * *

धारा १६. **अधिनिर्णय.**- (१) अधिकरण, साक्ष्य का अभिलेखन, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् और अभिलेख पर की सामग्री की परिशीलन करने तथा पक्षकारों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अधिनिर्णय देगा:

परन्तु यह कि अधिकरण अन्तरिम अधिनिर्णय दे सकेगा:

परन्तु यह और भी कि अधिकरण, जिसके अन्तर्गत अंतरिम अधिनिर्णय भी है, के लिए संक्षेप में कारण देगा.

(२) अधिकरण, विरोधी पक्षकार पर निर्देश की सूचना की तामील होने की तारीख से यथासंभव चार मास के भीतर अपना अधिनिर्णय देगा.

(३) अधिकरण खर्चे तथा ब्याज ऐसी दर से अधिनिर्णीत कर सकेगा जो युक्तियुक्त प्रतीत हो.

(४) अधिनिर्णय सदस्यों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा, यदि बैंच के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर भेदभाव हो, तो वह प्रश्न, यदि बहुमत हो, सदस्यों की बहुसंख्यक की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, किन्तु यदि सदस्यगण बराबर-बराबर बंटे हुए हों, तो वह प्रश्न या वे प्रश्न, जिन पर उनमें मतभेद हो, यथास्थिति अधिकरण के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा या स्वयं अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर सुनवाई किये जाने के लिए मामले के निर्देश के लिए कथित किए जाएंगे, और तब ऐसा या ऐसे प्रश्न अधिकरण के उन सदस्यों कि जिन्होंने इस मामले को सुना है जिनके अन्तर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होने पहले उसकी सुनवाई की है, बहुसंख्या की राय में अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे.

(५) मंजूर किया गया अनुतोष, वह पक्षकार, जिनके पक्ष में तथा जिनके विरुद्ध अनुतोष मंजूर किया गया है और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा यथा जिसके पक्ष में खर्चे तथा ब्याज, यदि कोई, संदेह है, अधिनिर्णय में स्पष्ट रूप से वर्णित किए जाएंगे.

(६) अधिनिर्णय की प्रतियां, जो अधिकरण के ऐसे अधिकारी के, जिसे अध्यक्ष द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से तथा उसकी मुद्रा लगाकर प्रमाणित की गई हो, सभी पक्षकारों की दी जाएंगी.

* * * *

धारा १७-क. **अन्तर्निहित शक्तियां.**- इस अधिनियम में कि किसी बात के वारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश करने में अधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियों को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अधिकरण की आदेशित के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है:

परन्तु अधिनिर्णय के पूर्व व्यादेश रोक या कुर्की के तौर पर कोई अन्तरिम आदेश नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि अधिकरण को अधिनिर्णय का, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय भी है, पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं होगी.

धारा २०. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- (१) अधिकरण के गठन की तारीख से, और माध्यस्थम् अधिनियम, १९४०(१९४० का सं. १०) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी करार या प्रथा में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किसी सिविल न्यायालय को उस विवाद को ग्रहण करने या विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किया जा सकता है.

(१-क) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिविल न्यायालय, उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी विवाद को, जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति की हैसियत में निर्दिष्ट किया जाए, ग्रहण और विनिश्चय कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "निर्धन व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) में उसके लिए दिया गया है.

(२) उपधारा (१) में की कोई भी बात किन्हीं ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाही को लागू नहीं होगी जो माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् संबंधित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक के समक्ष या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, और ऐसी कार्यवाहियों के करार या प्रथा या माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार उनके सभी प्रक्रमों पर इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, सुना जा सकेगा और विनिश्चित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त ही न हुआ हो.

* * *

धारा २९. नियम बनाने की शक्ति.- (१) राज्य सरकार साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे:-

(क) धारा ६ के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां (यदि कोई हो);

(ख) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन निर्देश का प्रारुप;

(ख-ख) (एक) धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन, निर्देश के लिए फीस,

(दो) धारा ७ की उपधारा (४) के अधीन, वह फीस जो आदेशिकाओं की तामील या उनके निष्पादन के लिए निर्देश के साथ दी जाएगी और ऐसी दस्तावेजें या अन्य साक्ष्य जो निर्देश के साथ दिये जाएंगे.

(खखख) धारा ७-क की उपधारा (३) के अधीन वह शर्त जिसके अध्यधीन रहते हुए कोई निर्देश याचिका ग्रहण की जा सकेगी;

(ग) धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन सूचना का प्रारुप;

(घ) धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ.) धारा २७ के अधीन अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए फीस और वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा निरीक्षण किया जा सकेगा, तथा पूर्वोक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दी जाने के लिए फीस;

(च) अधिकरण, उसकी बैंचों द्वारा अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्राओं का आकार और विवरण;

(छ) निर्देश, आवेदन और शपथ-पत्रों तथा वकालतनामा के संबंध में दस्तावेजों, आवेदनों पर या अधिनिर्णय, अन्तरिम, अधिनिर्णय, आदेश, राय, प्रमाण-पत्र तथा अधिकरण या उसकी बैंच के समक्ष की कार्यावाहियों के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां तैयार करने के लिए देय फीस और ऐसी फीस दी जाने की रीति;

(छछ) धारा २७-क के अधीन अधिवक्ताओं को देय फीस;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये या विहित किया जा सकता हो.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.